न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 11/2026

जीसीएमएस नम्बर :: 2026/112

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेण्ट :–
श्रीमती केली देवी पत्नी सोहनलाल, जाति मीणा, निवासी 689, कोडेसो का मोहल्ला, गुडाएन्दला, तहसील पाली जिला पाली (राज.)		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पाली जिला पाली।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह राठौड़, अरविन्द कुमार सरकारी पैरोकार

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– **13.05.2026**

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वतः स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2812 दिनांक 14.06.2025 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह राठौड़, अरविन्द कुमार वक्त बहस उपस्थित हुये। सरकारी पैरोकार उपस्थित। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा ग्राम गुडाएन्दला, पटवार हल्का गुडाएन्दला I के खसरा संख्या 1156/5 रकबा 0.6475 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की खातेदारी कृषि भूमि अपीलाण्ट ने जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 12.06.2025 के खरीद किया। उक्त दस्तावेज से स्वतः स्वीकृत जैर नामान्तरकरण में क्रेता की वल्दीयत केली देवी पत्नी सोहनलाल की जगह केली देवी चेला सोहनलाल जी दर्ज हो गया जो विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। अतः जैर अपील स्वीकार फरमावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

बहस सुनी गई। श्रवणसुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि हस्ब पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 12.06.2025 में क्रेता का नाम केली देवी पत्नी सोहनलाल है जबकि जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण में केली देवी चेला सोहनलाल जी दर्ज हो गया है। उक्त जैर पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 12.06.2025 के विरूद्ध स्वीकृत जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण में पत्नी के स्थान पर चेला अंकन होना ही प्रथम–दृष्ट्या त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील–अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2812 दिनांक 14.06.2025 को अपास्त किया जाकर जैर प्रकरण तहसीलदार, पाली को प्रति–प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में हस्ब पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 12.06.2025 के अनुसार नव–सरे निर्णय पारित करे। निर्णय की सत्य प्रति तहसीलदार, पाली को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक **13.05.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली